संख्या : 2937 / 49–3–2010–100(19) / 2010

प्रेषक,

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उ0प्र0
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक ::20अक्टूबर, 2010.

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में खरीफ एवं रबी फसलों के रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पी0सीएफ0 द्वारा किये गये व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक 610 / बीज–उर्वरक / डी–70, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 75.11 करोड़ (रू0 पचहत्तर करोड़ ग्यारह लाख) के सापेक्ष यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ द्वारा माह, अप्रैल, 2010 से जुलाई, 2010 तक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर देय ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की मद पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

(धनराशि रूपये में)

माह का नाम	देय ब्याज	भण्डारण शुल्क	योग
अप्रैल,2010	3,14,13,031 / –	48,87,899 / –	3,63,00,930 / –
मई,2010	1,89,02,783 / –	50,39,969 / –	2,39,42,752 / –
जून,2010	5,13,64,145 / –	58,21,918 / –	5,71,86,063 / –
जुलाई,2010	4,41,23,806 / –	92,20,970 / –	5,33,44,776 / –
योगः–	14,58,03,765 / –	2,49,70,756 / –	17,07,74,521 / –

25/10/10

2– पी0सी0एफ0 द्वारा मार्च,2010 में उक्त योजना के अधीन ब्याज मद में रूपये 1,81,22,231 / –(रूपया एक करोड़ इक्यासी लाख बाइस हजार दो सौ इकतिस मात्र) का वास्तविक व्यय किया गया था किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष रू0 30,59,256 / –(रूपये तीस लाख उनसठ हजार दो सौ छप्पन मात्र) का क्लेम किया गया था तथा उक्त धनराशि शासनादेश संख्या–1310 / 49–3–2010– 100(19) / 10, दिनांक 31मई,2010 द्वारा स्वीकृत की गयी है। अवशेष धनराशि रू0 1,50,62,975 / – (रूपये एक करोड़ पचास लाख बासठ हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) माह अप्रैल,2010 में ब्याज की मद में देय धनराशि में सम्मिलित कर ली गयी है।

3– अतः पी0सी0एफ0 द्वारा माह–अप्रैल, 2010 से माह जुलाई, 2010 तक देय ब्याज पर व्यय की गई धनराशि 14,58,03,765 / – (रू0 चौदह करोड़ अट्ठावन

———2 /

लाख तीन हजार सात सौ पैसठ मात्र) तथा भण्डारण शुल्क पर किये गये व्यय रू0 2,49,70,756/– (दो करोड़ उन्चास लाख सत्तर हजार सात सौ छप्पन मात्र) जिसका कुल योग रू0 17,07,74,521/–(सत्तरह करोड़ सात लाख चौहत्तर हजार पॉच सौ इक्कीस मात्र) होता है, की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है । उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय। विभाग द्वारा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि ब्याज तथा भंडारण शुल्क को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

(2) उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर–00–800–अन्य व्यय–05–रासायनिक उर्वरको का अग्रिम भण्डारण योजना–00–27 –सब्सिडी" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–2–646/दस–2010, दिनांक 13अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या–2937(1)/49–3–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उप्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
3– वित्त नियंत्रक, निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ ।
4– वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5– प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 लखनऊ ।
6– बेव मास्टर, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

(राजनाथ)
अनु सचिव।